ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202122, दूरभाष–0571–2960088)

पत्रांकः २२०९ / 14–1 (13381 / 2015) दिनांकःअलीगढ़, जनवरीः ३। ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलना के खसरा सं0–1470 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Approach/13881/2015)**

सन्दर्भः– 1– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ0सी0 / 799 दिनांक 30.12.2022

2. आपका पत्रांक 2225 / 11सी–FP/UP/Approach/13881/2015 दि0 02.01.2023

2–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक–2948 / अलीगढ़ / 13881 / 2015 दिनांक 19.01.2023

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय में 04 प्रति में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार कर सुसंगत अभिलेख सहित 03 प्रति में संलग्न कर प्रेषित हैः–

S.No.	Objection	Reply
1	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोशी कर्मचारियों के	उल्लंघन के लिये जिम्मदार अधिकारियों / कर्मचारियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी

Scanned with CamScanner

	विरुद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत आख्या प्रेषित की जायेगी।	कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

31/1/2023.

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Scanned with CamScanner